S.No.	Company	Date of Regn.	Satuts
48.	The Ahmedabad Advance Mills Ltd.	15.7.98	Pending
49.	Mardia Copper Products Limited	20.7.98	Pending
50.	Gobind Glass and Industries Ltd.	18.8.98	Pending
51.	Benzo Petro Chemicals Ltd.	19.8.98	Pending
52.	Gujarat Narmada Knitwear Ltd.	21.8.98	Pending
53.	Esskay Pharmaceutical Ltd.	26.8.98	Pending
54.	Gujarat Borosh Limited	11.9.98	Pending
55.	Diamines and Chemicals Limited	5.10.98	Pending
56.	Marval Agrex Limited	9.10.98	Pending
57.	Global Arya Industries Limited	21.10.98	Pending
58.	Rahi Chemicals Limited	5.11.98	Pending
59.	Bahuma Polysters Limited	6.11.98	Pending
60.	Gujarat Dyka Organics Limited	7.12.98	Pending
61.	Jay Agrochem Limited	10.12.98	Pending
62.	Associated Pulp and Paper Mills Limited	10.12.98	Pending
63.	Hytaisum Magneties Limited	18.12.98	Pending
64.	Prashant Indian Limited	18.12.98	Pending
65.	Volvo Steels Limited	21.12.98	Pending
66.	Shaniyal Dyeing & Printing Mills Ltd.	22--12-98	Pending
67.	Arm Polymers Limited	31.12.98	Pending
68.	Bhagwati Foundries Limited	15.1.99	Pending
69.	Rajesh Malleables Limited	29.1.99	Pending

DTH Services

92. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government is actively considering a proposal to allow Direct-to-Home(DTH) service facilities;

(b) if so, the details thereof and the full justification for providing this facility ahead of the Broadcasting Bill which is long overdue;

(c) whether all aspects of DTH policy have been given proper consideration and arrangements made for the setting up of an appropriate broadcasting Authority to regulate the issues relating to the functioning of foreign network; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROACASTING (SHRI MUKHTAR NAZQVI) (a) and (b) The Government has constituted a Group of Ministers consisting of the Ministers of Home Affairs, Finance, Communications, Defence and Information & Broadcasting to consider issues connected with Direct-to-Home Broadcasting and make recommendations. The Group will be commencing its deliberations shortly. As no decision has been taken as yet, the question does not airse.

(c) and (d) The Group of Ministers would go into various aspects relating to DTH before taking a view on the matter.

अवयस्कों पर विज्ञपनों के प्रतिकूल प्रभाव

93. **श्री गोपाल सिंह बी0 सोलंकी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या देश में विज्ञापन उद्योग ने देश की एक चौथाई जनसंख्या को अपना लक्ष्य बनाया है जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के/ लड़कियां शामिल हैं;

(ख)क्या सरकार ने इस अति संवेदनशील वर्ग के हित की रक्षा करने और उनको विज्ञापन के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए भी कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ग)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ)क्या लड़कों और लड़कियों पर विज्ञापनों के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण किया गया हैं??

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मुख्तार नकवी**) : (क) विज्ञापन उद्योग की ओर से इस प्रकार के कदम के बारे में सरकार को जानकारी नहीं हैं।

(ख) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन विज्ञापनों को ' वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता' के अनुसार विनियंत्रित किया जाता है जिसमें सभी विज्ञापनों में अभद्र, अश्लील, उद्दीपक या आपत्तिजनक विषयों या उनके निरूपण का निषेध किया गया है स्वतंत्र विदेशी उपग्रह चैनल, कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं में संबंधित केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम (1995) के प्रावधानों की परिधि में नहीं आते हैं। इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाने हूतु सरकार द्धारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं जिससे सभी विदेशी उपग्रह चैनलों की विनियमित किया जा सकेगा और उन्हें भारतीय कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत लाया जा सकेगा। जहां तक प्रिन्ट मीडिया का संबंध हैं, देश में प्रेस निजी क्षेत्र में हैं और सरकार प्रेस की स्वतंत्रता बबनाए रखने के उदेश्य से उनके कार्यो मे हस्त्क्षेप न करने की नीति का अनुसरण करती हैं। तथापि, विज्ञापकों के एक स्व-नियंत्रक निकाय 'भारतीय विज्ञापन मानक परिषद' ने स्विनिरूपित विज्ञापन प्रक्रिया संहिता बनाई हुई हैं जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि बच्चों, के लिए विज्ञापनों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो बच्चों के लिए शारिरिक, मानसिक या नैतिक दृष्टि से हानिकारक हो अथवा उनके कोमल मन पर गलत प्रभाव डालता हो।

(घ)सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया हैं।

बछावत और मणिसाना सिंह आयोग के प्रतिवेदनों का कार्यान्वयन

94. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)कौन-कौन से समाचार पत्र अपने पत्रकारों को बछावत वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन-मान दे रहे हैं और कौन-कौन से समाचार पत्र ऐसा नहीं कर रहे हैं;

(ख)मणिसाना सिंह आयोग, जिसे पत्रकारों के वेतन-मानों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था, के प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ग)यह प्रतिवेदन किस तिथि का प्रस्तुत किया जाना था;

(घ)इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ड.)इसे कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मुख्तार नकवी**) : (क) बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समाचारपत्र-वार सूचना नहीं रखी जाती हैं। राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1703 समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में से 637 ने पूर्णतया तथा 26 आंशिक रूप से बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया हैं।

(ख)वेतन बोर्ड इस समय नियोक्ता संस्थाओं कर्मचारी एवं पत्रकार संस्थाओं आदि के प्रतिनिधियों की मौखिक रूप सुनवाई कर रहा हैं।

(ग) से (ड.) वेतन बोर्ड के गठन के समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। तथापि, अध्यक्ष से मार्च, 1999 तक कार्य को पूरा करने का अनुरोध किया गया हैं।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों का पुन: प्रमाणन

95. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को किसी फिल्म को दिखाने की अनुमति दिये जाने के बाद भी उस फिल्म को प्रमाणन के लिये सेंसर बोर्ड के पास पुन: भेजने का कोई अधिकार हैं;

(ख)यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान कितनी फिल्मों को पुन: प्रमाणन के लिये सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था; और

(ग)यदि नहीं, तो इसके लिये अन्य उपाय क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्स मंत्री (**श्री मुख्तार नकवी**) : (क) से (ग) सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों के प्रमाणन के मामलों में केन्द्र सरकार को चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा -6 के अनुसार संशोधन करने का अधिकार है। उन मामलों में जहां इन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 32 के तहत केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी0बी0एफ0सी0) को किसी भी प्रमाणित फिल्म जिसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई हो, के संबंध में पुन: जांच करने का निदेश दे सकती हैं। केन्द्र सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति पर समुचित आदेश पारित करेगी। पिवछले तीन वर्षो कें दौरान, पांच प्रमाणित फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास पुन: जांच हेतु भेजा गया था।

Information Training Centre at Dimapur

96. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND